संख्या-I/3/96-का-4-2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनाँक 12 जून, 2002

विषय- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

स्थानान्तरण सत्र, 2002-2003 के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 21-4-2001 के द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के प्राविधान अभी प्रभावी हैं, अतः उक्त स्थानान्तरण नीति से आच्छादित होने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण दिनाँक 30 जून, 2002 तक पूर्ण करने का कष्ट करें ।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 जून, 2002 के उपरान्त किये जाने वाले स्थानान्तरणों में शासनादेश दिनाँक 21-4-2001 के प्रस्तर-6 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय ।

(3) अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानान्तरण नीति से विचलन का औचित्य पाये जाने पर संबंधित विभाग स्तर से मा0मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने का कष्ट करें ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

राजेन्द्र भौनवाल
सचिव ।

संख्या-I/3/96(1)-का-4-2002, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मा0मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी स्टाफ, मा0मंत्रीगण ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
5. सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(मुइयोंदीन)
विशेष सचिव